नगर पालिक निगम भिलाई

मासिक पत्रिका
मार्च 2023

नगर पालिक निगम भिलाई

25 स्थानों से हटाए गए अवैध कब्जे, होर्डिंग एवं पोस्टर की भी बनाई गई जब्ती, वैशाली नगर के इंदिरा चौक में हुई कार्रवाई

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आज बड़ी कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर में 25 अवैध कब्जे को हटाया गया। इसके साथ ही यातायात को बाधित करने वाले होर्डिंग और पोस्टर की जब्ती भी बनाई गई। भिलाई निगम क्षेत्र में इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इंदिरा चौक रामनगर में सड़क, नाली को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त निर्माण तथा कब्जे को हटाने की कार्रवाई भिलाई निगम ने की है। सामानों को बढ़ाकर अतिरिक्त रूप से व्यवसाय करने वाले लोगों को समझाइश देते हुए उनके सामग्रियों को भीतर करवाया गया। ऐसे प्रचारक सामग्री जो बाधा बन रहे थे उन्हें भी हटाया गया। अतिरिक्त रूप से लगाए गए शेड को भी तोड़ने की कार्यवाही निगम ने की है। अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा पर कार्रवाई करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। गौरतलब है कि अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग तथा अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के निर्देश निगमायुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को दिए है। इसी तारतम्य में भिलाई निगम क्षेत्र में इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी तथा जोन आयुक्त येशा लहरे के निर्देश पर आज सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी ने वैशाली नगर क्षेत्र के कई स्थानों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की।

पावर हाउस बस स्टैंड फिर से होगा प्रारंभ, महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ की बैठक

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस बस स्टैंड फिर से चालू होगा और इसकी रौनकता फिर से लौटेगी। बस स्टैंड को चालू करने के लिए आज महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में पावर हाउस बस स्टैंड को फिर से चालू करने को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी सहमति प्रदान की है, शीघ्र ही बसे अब बस स्टैंड से होकर गुजरने लगेंगी। इसके लिए समय सारणी भी तैयार की जाएगी, बसों के यहां रुकने के मुताबिक टाइम फिक्स होंगे। पावर हाउस बस स्टैंड को पुनः व्यवस्थित तरीके से चालू करने को लेकर निगम और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बैठक में चर्चा की। यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। बसों को बस स्टैंड में ठहराने के एवज में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसकी राशि भी निगम को अदा करेगा। पावर हाउस बस स्टैंड स्थित कार्यालय के अतिरिक्त कक्ष में रेस्टोरेंट आदि की सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी, इसके लिए भिलाई निगम निविदा जारी करेगा तथा इसे किराए पर देकर राजस्व वसूली में बढ़ोतरी करेगा। पावर हाउस बस स्टैंड के चालू होने से इसकी रौनकता फिर से आ जाएगी इसके साथ ही यात्रियों को एक सुविधा युक्त बस स्टैंड मिल पाएगा, प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को इसके चलते राहत मिलेगी। आज की बैठक में ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा, जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

महापौर नीरज पाल ने लाभ का बजट किया पेश, 760 करोड़ बजट प्रावधान सदन में पारित

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने आज साधारण सम्मेलन में बजट पेश किया। 76035.39 लाख का बजट प्रावधान विभिन्न कार्यों के लिए रखा गया है। साधारण सम्मिलन में सभापति गिरवर बंटी साहू, निगम आयुक्त रोहित व्यास एमआईसी सदस्य, जोन अध्यक्ष तथा पार्षद व अधिकारी आदि मौजूद रहे। महापौर ने अपने अभिभाषण में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल जी की सोच के अनुरूप हम सब भिलाई को विकास की नयी दिशा देने की ओर निरंतर अग्रसर है। राजीव युवा मितान क्लब शहर के युवाओं के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के 70 वार्डो में 140 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के माध्यम से कब्डडी, खो-खो, योगा, कुस्ती, क्रिकेट,छ.ग. पारंपरिक खेलगेड़ी, भौरा, पिटटूलआदि की प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजक प्रतिस्पर्धाए की जा रही है। महिला सशक्ति करण मदर्स मार्केट शहरी सरकार द्वारा खण्डर पड़े भवन का जिर्णोद्धार कर मदर्स मार्केट का निर्माण किया गया है। जिसमें स्व. सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न व्यवसाय के माध्यम से अपनी जीविका चला रही है।अगरबत्ती, फिनाईल, सेनेटरीपैड, दोनापत्तल, फूलो से निर्मित सोप, गुलाल इत्यादि इसके अलावा मछली पालन, सब्जी, मशरूम उत्पादन किए जाते है तथा गोबर से बने दिये के विक्रय से अब तक लाखों रूपये की आय हुई है। शहरी महिला आजीविका केन्द्रनगर निगम क्षेत्र में 1000 शहरी महिलाओं को आजीविका प्रदान करने हेतु रेडिमेड गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित वित्तीय वर्ष में की जा रही है।

नगर पालिक निगम भिलाई

आगजनी से पीड़ित परिवारों को मिला मुआवजा राशि, 25 परिवारों को मिली राहत

भिलाई नगर/ हॉस्पिटल सेक्टर में आगजनी की घटना होने के बाद से प्रशासन ने हर संभव मदद प्रभावित परिवारों के लिए किया है। विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास, एमआईसी मेंबर सीजू एंथोनी, स्थानीय पार्षद कोमल टंडन ने प्रभावित परिवारों के मदद लिए स्पॉट पर जाकर निरीक्षण किया था। आगजनी के बाद से ही परिवारों को राहत देने का कार्य किया गया। नजदीकी स्कूलों में परिवारों को ठहराकर उनकी मदद की गई, भोजन व्यवस्था सहित जरूरी सामग्रियों के इंतजाम किए गए। दस्तावेजों को बनाने के लिए शिविर के लगाए गए तथा दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने के लिए भी कैंप का आयोजन किया गया। पीड़ित परिवार का सर्वे किया गया था, सर्वे उपरांत 25 परिवार निवासरत पाए गए थे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत प्रत्येक परिवार को 10500 रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके मुताबिक 25 परिवारों को 262500 की राशि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के तहत दी गई है। मुआवजा राशि देने के दौरान जोन आयुक्त खिरोद्र भोई तथा अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदु भी मौजूद थे। मुआवजा राशि प्राप्त कर पीड़ितों ने राहत की सांस ली है और उन्होंने इसके लिए विधायक, महापौर, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।

अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वाले 4 दुकानें हुई सील, शहर के मुख्य मार्केट में हुई कार्रवाई, समय रहते करवा ले अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण

भिलाई नगर/ अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं करवाने वाले दुकानों पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा शहर के मुख्य मार्केट जवाहर नगर और जलेबी चौक के समीप की दुकानों को सील बंद करने की कार्यवाही की गई। शुक्रवार को निगम के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, अमित एक्का, विजेंद्र गुप्ता तथा सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने जवाहर मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया इस दौरान अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले लोगों की दुकानें सील की गई। इससे पूर्व निगम ने नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस जारी किया था परंतु फिर भी नोटिस का अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद थी। गौरतलब है कि भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है, इसके लिए शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके नोटिस को अनदेखा करने और गंभीरता से नहीं लेने वाले भवन, संस्थान, दुकान आदि को सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है।

टैक्स जमा करने के लिए केवल कुछ दिन है शेष, फिर लगेगा अधिभार, शास्ती शुल्क भी करना होगा जमा, अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे टैक्स काउंटर

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई में टैक्स जमा करने के लिए केवल कुछ दिन ही शेष है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। इस तिथि तक अनिवार्य रूप से अपना विभिन्न प्रकार का टैक्स निगम में जमा कर दें। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई करदाता टैक्स जमा करता है तो उसे 1 अप्रैल से 18% अधिभार के साथ ही शास्ती शुल्क भी देना पड़ेगा। अवकाश के दिन भी टैक्स जमा करने के लिए काउंटर खुले रहेंगे। नगर पालिक निगम भिलाई सुपेला के मुख्य कार्यालय तथा नेहरू नगर गुरुद्वारा के पास जोन कार्यालय, वैशाली नगर जोन कार्यालय, मदर टेरेसा नगर जोन कार्यालय, खुर्सीपार जोन कार्यालय तथा सेक्टर 6 के जोन कार्यालय में भी टैक्स जमा कर सकते है। निगम मुख्यालय में करदाताओं की सुविधाओं के लिए पृथक से अस्थाई काउंटर भी बनाया गया है। निर्धारित अवधि में करदाता अपना टैक्स जमा कर देते हैं तो वह अतिरिक्त अधिभार देने तथा शास्ती शुल्क देने से बच जाएंगे। परंतु इसके लिए 31 मार्च 2023 तक अपना टैक्स जमा करना ही होगा, हालांकि नई एजेंसी एसपीएस के कर्मचारी डोर टू डोर टैक्स वसूली भी कर रहे हैं और करदाताओं को टैक्स जमा कराने में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं लेकिन अधिभार और शास्ती शुल्क से बचने के लिए समय पर टैक्स जमा करना होगा।

स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए समाप्त कर रहे जीवीपी पांइट, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने पर लिया जा रहा है अर्थदण्ड

भिलाईनगर/ शहर के आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने भिलाई निगम हर संभव प्रयासरत है। अब गली मोहल्लों में गंदगी से निजात पाने जीवीपी पाइंट को समाप्त किया जा रहा है, ताकि लोग वहां कचरा न फेंके और स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के नारे को साकार कर सके। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर उनसे अर्थदण्ड वसूला जा रहा है। निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की प्रतियोगिता में नगर पालिक निगम भिलाई को प्रथम पायदान में लाने स्वच्छता के हर मापदंडों पर कार्य किया जा रहा है। निगम प्रशासन बाजार क्षेत्र व सड़क किनारे खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों को अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने तथा गीला एवं सूखा कचरा को पृथक-पृथक रखने की हिदायत दे रहे है, ताकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बेतरतीब गंदगी न फैले। बावजूद इसके कोई कचरा फेंकता है तो जुर्माना लिया जाएगा। छोटे-छोटे कचरा पॉइंट को समाप्त कर स्थल को स्वच्छ एवं सुंदर रखने का प्रयास किया जा रहा है। कचरा न फेंके इसलिए आसपास के रहवासियों एवं दुकानदारों को भी अवगत कराया जा रहा है। इधर नालियों तथा सड़क किनारे के स्थानों में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जन सहयोग से तालाबों की सफाई भी की जा रही है इसी तारतम्य में आज घांसीदास नगर में सफाई अभियान चलाया गया।

नगर पालिक निगम भिलाई

शहर से होने लगा कचरो का सफाया, सड़क पर न पसरे गंदगी, झिल्ली, पन्नी एवं कचरे का हो रहा है उठाव

भिलाईनगर। भिलाई निगम क्षेत्र के सड़कों के किनारे से झिल्ली, पन्नी के कचरे का उठाव किया जा रहा है। निगम के सफाई कर्मी प्रतिदिन प्लास्टिक एवं अन्य कचरों का उठाव कर रहे है, जिससे रहवासी क्षेत्रों में कचरे का ढेर समाप्त हो रहा है। स्वच्छता कार्य के तहत निगम प्रशासन शहर की साफ-सफाई व्यवस्था में जुटा हुआ है, सभी जोन कार्यालयों द्वारा टीम बनाकर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र में कचरे का सफाया करने लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिखरे हुए प्लास्टिक का कचरा हवा में उड़ने से गंदगी फैलता है। झिल्ली, पन्नी का कचरा नालियों में जाने के कारण पानी निकासी में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे नाली सफाई करने में काॅफी दिक्कत होती है। स्वच्छता पर्यवेक्षक व जोन के स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन दोनो पालियों की सफाई कार्य की माॅनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह कचरों के उठाव होने के साथ ही नालियों की सफाई किया जा रहा है। नलकूप, बोरिंग, कुआं के आस पास सफाई पश्चात चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। निगम के स्वच्छता कर्मी कचरे का उठाव करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे है। भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप कार्य करते हुए सड़क, नालियों के सफाई व्यवस्था को दूरूस्त करने निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन सुबह वार्डों में निरीक्षण कर रहे है तथा सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

पंडित दीनदयाल पुरम खेल परिसर मिनी स्टेडियम खुर्सीपार में निर्मित दुकानों की होगी नीलामी

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जोन क्रमांक 4 शिवाजीनगर जोन अंतर्गत पंडित दीनदयाल पुरम खेल परिसर मिनी स्टेडियम खुर्सीपार भिलाई में निर्मित भूतल की दुकानों की नीलामी व्यवसायिक प्रयोजन के लिए की जा रही है। इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। आज से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, 17 अप्रैल 2023 समय 5:30 बजे तक ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं। 30 वर्ष के किराएदारी के लिए दुकानें मिलेंगी। नेशनल हाईवे से लगा हुआ लोकेशन में दुकान बना हुआ है। दुकान के प्रकार के हिसाब से 54 दुकाने नीलामी के लिए तैयार है। सभी के ऑफ़सेट मूल्य, धरोहर राशि और दुकान का किराया राशि का निर्धारण भी कर दिया गया है। निविदा में भाग लेने के लिए एवं नियम शर्तों को जानने के लिए तथा मानचित्र या उससे संबंधित जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in व www.bhilainagarnigam.com तथा www.uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाकारो को ऑक्शन में भाग लेने के लिए https://eproc.cgstate.gov.in पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। 17 अप्रैल को दस्तावेज जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 18 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 के मध्य शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। लाइव ऑक्शन 8 मई 2023 से 26 मई 2023 के मध्य होगी। अधिक जानकारी के लिए अशोक कश्यप के मोबाइल नंबर 9098817420 पर संपर्क कर सकते है

अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता के लिए कर सकते हैं अप्लाई, भिलाई निगम के सभागार में बेरोजगारी भत्ता को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में बेरोजगारी भत्ता को लेकर स्कूल के शिक्षकों तथा निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया गया। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर प्रशिक्षण का आयोजन आज सभागार में हुआ। इसके लिए वेब पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जीवित रोजगार पंजीयन कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तथा नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 रुपए डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। पात्रता की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, 1 अप्रैल को 12वीं या उससे उच्च योग्यता में 2 वर्ष पुराना जीवित रोजगार का पंजीयन, स्वयं के आय का कोई स्रोत नहीं तथा परिवार की वार्षिक आय 250000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Editorial Board

श्री रोहित व्यास
भा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री पी.सी सार्वा
जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई